न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 48/2018
आरसीएमएस नं. 2018/00174

मनीर पुत्र श्री गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी किकरवाली संगरिया जिला हनुमागनढ।

1/1 शेर मोहम्मद पुत्र मनीर
1/2 फतेह मोहम्मद पुत्र मनीर
1/3 शमशाद पुत्र मनीर
1/4 शोकत अली पुत्र मनीर
1/5 मुन्सब अली पुत्र मनीर
1/6 सकीना बीबी पत्नी मनीर
1/7 गुलाम मरीया पुत्री मनीर
1/8 गुलाम जोहरा पुत्री मनीर
1/9 हलीमा पुत्री मनीर
1/10 सीमा पुत्री मनीर

} जाति कुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. करनैल सिंह पुत्र
2. शेर सिंह पुत्र
3. बेगा सिह पुत्र
4. हरनेक सिंह पुत्र

} जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 12.02.2018
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर संगरिया
प्रकरण सं0 63/2015 अनवान करनैल सिंह आदि बनाम मनीर
श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री वतनदीन सिंह मान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक – 21.X.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट में पेश किया प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी के नाम से चक नं 7 एम.एम.के. में कृषि भूमि थी जिसका अप्रार्थी खातेदार काश्तकार था। अप्रार्थी द्वारा चक 7 एमएमके में स्थिति अपनी 14 बीघा कृषि भूमि में से प. नं. 139/200 मु. नं. 17 किला नं. 17 व 24 कुल 2 बीघा भूमि को श्रीमति चाची बाई धर्मपत्नी टीकमदास जाति सिंधी को दिनांक 30.05.1979 को जरिये पंजीकृत बैयनामा के विक्रय कर दी तथा अपनी चक 7 एमएमके प. नं. 139/200 मु. नं. 17 किला नं. 14 व 18 कुल 2 बीघा कृषि भूमि टीकमदास पुत्र हरूमल जाति सिंधी को दिनांक 30.05.1979 को जरिये पंजीकृत बैयनामा के विक्रय कर दी लेकिन विक्रय के बाद उक्त 4 बीघा कृषि भूमि चाची बाई व टीमदास के नाम से दर्ज नहीं करवाई गई। चाची बाई ने दिनांक 25.08.1983 को जरिये इकरारनामा यह भूमि प्रार्थीगण के पिता को विक्रय कर दी। तभी से इस भूमि पर प्रार्थीगण के पिता व उनकी मृत्यु के पिता प्रार्थीगण का कब्जा लगातार चला आ रहा है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रश्गनत भूमि अप्रार्थी के नाम होने के कारण वह भूमि को रहन, बैय करने पर उतारू है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जावे। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों से इंकार किया एवं प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्टान का वाद पत्र व प्रार्थना–पत्र इकरारनामा के आधार पर पेश किया गया है जबकि इकरारनामा के आधार पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार है तथा कानूनन रिकाडेर्ड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करके निर्णय पारित करवाया है। रेस्पोडेण्टान ने बैयनामा दिनांक 30.05.1979 के आधार पर आराजी चाची बाई व टीमदास को बैय करना अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है किन्तु उन्हें प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त आरजी पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा मानकर अहम भूल की है। बैयनामे विधि के अनुसार विधिक बैयनामे नहीं है क्यों कि रेस्पोडेण्ट द्वारा कथित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बैयनामा दो दो बीघा के हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 42 के अनुसार वैध नहीं है। विधि अनुसार बेयनामों को रेगूलाईज नहीं करवाया है इस कारण बैयनामे शून्य हैं तथा शून्य बैयनामों के आधार पर रेस्पेडेण्टान को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अतः अपील अपलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी मुनीर द्वारा टीकमदास व चाची बाई को दिनांक 30.05.1979 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के बेचान किया गया है। इन बैयनामों को आज तक किसी न्यायलाय में अक्षेपित नहीं किया गया है। टीकमदास व चाची बाई ने आराजी जरिये इकरारनामा दिनांक 25.08.1983 प्रार्थीगण के पिता को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था तब से प्रार्थीगण का पिता व उनकी फौतगी के बाद प्रार्थी का कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड में भूमि अपीलाण्ट के नाम से रहने से वह उसको रहन बैय करना चाहता है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं बहस में आये तथ्यों के अनुसार प्रश्गनत भूमि मुनीर द्वारा टीकमदास व चाची बाई को दिनांक 30.05.1979 को जरिये पंजीकृत विलेख के बेचान किया गया है। इन बैयनामों को आज तक किसी न्यायालय में आक्षेपित नहीं किया गया है। टीकमदास व चाची बाई ने प्रश्नगत आराजी जरिये इकरारनामा दिनांक 25.08.1983 रेस्पोडेण्ट के पिता को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था तब से प्रार्थीगण का पिता व उसकी फौतगी के बाद उसके वारिसान का कब्जा काश्त है। प्रश्गनत बैयनामा दिनांक 30.05.1979 एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। अपीलाण्ट ने इन बैयनामों के सम्बन्ध में अपनी बहस में कोई कथन नहीं किया केवल ऐसे बैयनामों का इन्कार होना जाहिर किया है। प्रस्तुत बैयनामे पंजीकृत दस्तावेज है जब तक उसे अवैध घोषित नहीं कर दिया जाता है तब तक उनकी वैधता सिद्ध मानी जाती है। इन बैयनामें से स्पष्ट है कि आराजी अपीलाण्ट द्वारा टीकमदास व चाचीबाई को बैय कर दी थी। चाची बाई द्वारा दिनांक 25.08.1983 को प्रश्नगत आराजी रेस्पोडेण्ट के पिता को विक्रय कर दिया। अपने कब्जा काश्त के संबंध में अपीलाण्ट ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाण्ति प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.X.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/X/22

(करतारसिह पूनीयाँ)

राजस्व अपील प्राधिकारी

आर.ए.एस

हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ